संख्या: 23 /2019 /1253 / सत्रह-म-2019-6-9 (273) /2016

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 04 नवम्बर,2019

विषय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत धनराशि रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-317/नि0शा0,/वि0स्वी0-एस0टी0/2019-20 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 52 मछुआ आवास निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 37.44 लाख को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पुनर्वैध कर दिये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजातियों के लिए 02 जनपदों में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 37.44 लाख व मैंचिंग राज्यांश रू0 24.96 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित मछुआ आवासों की निर्माण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम बार भारत सरकार के पत्रांक-12012/27/2009-एफ0वाई0 (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए 52 मछुआ आवास निर्माण हेतु प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 का 60 प्रतिशत अर्थात 0.72 लाख की दर से कुल केन्द्रांश रू0 37.44 लाख अवमुक्त किया गया था। भारत सरकार के पत्रांक-जे-18001/1/2017 एफ0वाई0 दिनांक 25.04.2019 द्वारा वर्ष 2018-19 में अवमुक्त/अप्रयुक्त केन्द्रांश को वर्ष 2019-20 के लिए पुनर्वैध कर दिया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए 02 जनपदों में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 37.44 लाख तथा मैचिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

राज्यांश रू0 24.96 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 62.40 लाख (रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित तालिकानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 स0	जनपद	मछुआ आवासों की सं0	निर्गत की जाने वाली धनराशि (धनराशि रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	26	18.72	12.48	31.20
2	ललितपुर	26	18.72	12.48	31.20
	योग	**52**	**37.44**	**24.96**	**62.40**

(रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग - निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों तथा अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। लाभार्थी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निर्विवादित भूमि की पुष्टि का दायित्व निदेशक मत्स्य एवं सम्बंधित मण्डलीय/ जनपदीय अधिकारी का होगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये दिशा निर्देर्शो/ प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरी मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु अवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) भारत सरकार के पत्रांक जे- 18001/1/2017-एफ0वाई0, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 81 -लेखाशीर्षक-2405- मछलीपालन-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0101-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/के0+रा0),35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-970 /ई/1-दस-2019, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 एम0 ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या: 23/2019 / 1253 (1)/ सत्रह-म-2019,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 23 /2019 /1253 / सत्रह-म-2019-6-9 (273) /2016

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 04 नवम्बर,2019

विषय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत धनराशि रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-317/नि0शा0,/वि0स्वी0-एस0टी0/2019-20 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 52 मछुआ आवास निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 37.44 लाख को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पुनर्वैध कर दिये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजातियों के लिए 02 जनपदों में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 37.44 लाख व मैंचिंग राज्यांश रू0 24.96 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित मछुआ आवासों की निर्माण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम बार भारत सरकार के पत्रांक-12012/27/2009-एफ0वाई0 (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए 52 मछुआ आवास निर्माण हेतु प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 का 60 प्रतिशत अर्थात 0.72 लाख की दर से कुल केन्द्रांश रू0 37.44 लाख अवमुक्त किया गया था। भारत सरकार के पत्रांक-जे-18001/1/2017 एफ0वाई0 दिनांक 25.04.2019 द्वारा वर्ष 2018-19 में अवमुक्त/अप्रयुक्त केन्द्रांश को वर्ष 2019-20 के लिए पुनर्वैध कर दिया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए 02 जनपदों में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 37.44 लाख तथा मैचिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

राज्यांश रू0 24.96 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 62.40 लाख (रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित तालिकानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 स0	जनपद	मछुआ आवासों की सं0	निर्गत की जाने वाली धनराशि (धनराशि रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	26	18.72	12.48	31.20
2	ललितपुर	26	18.72	12.48	31.20
	योग	**52**	**37.44**	**24.96**	**62.40**

(रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग - निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों तथा अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। लाभार्थी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निर्विवादित भूमि की पुष्टि का दायित्व निदेशक मत्स्य एवं सम्बंधित मण्डलीय/ जनपदीय अधिकारी का होगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये दिशा निर्देर्शो/ प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरी मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु अवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) भारत सरकार के पत्रांक जे- 18001/1/2017-एफ0वाई0, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 81 -लेखाशीर्षक-2405- मछलीपालन-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0101-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/के0+रा0),35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-970 /ई/1-दस-2019, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 एम0 ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या: 23/2019 / 1253 (1)/ सत्रह-म-2019,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 23 /2019 /1253 / सत्रह-म-2019-6-9 (273) /2016

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 04 नवम्बर,2019

विषय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत धनराशि रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-317/नि0शा0,/वि0स्वी0-एस0टी0/2019-20 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 52 मछुआ आवास निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 37.44 लाख को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पुनर्वैध कर दिये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजातियों के लिए 02 जनपदों में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 37.44 लाख व मैंचिंग राज्यांश रू0 24.96 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित मछुआ आवासों की निर्माण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम बार भारत सरकार के पत्रांक-12012/27/2009-एफ0वाई0 (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए 52 मछुआ आवास निर्माण हेतु प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 का 60 प्रतिशत अर्थात 0.72 लाख की दर से कुल केन्द्रांश रू0 37.44 लाख अवमुक्त किया गया था। भारत सरकार के पत्रांक-जे-18001/1/2017 एफ0वाई0 दिनांक 25.04.2019 द्वारा वर्ष 2018-19 में अवमुक्त/अप्रयुक्त केन्द्रांश को वर्ष 2019-20 के लिए पुनर्वैध कर दिया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए 02 जनपदों में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 37.44 लाख तथा मैचिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

राज्यांश रू0 24.96 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 62.40 लाख (रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित तालिकानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 स0	जनपद	मछुआ आवासों की सं0	निर्गत की जाने वाली धनराशि (धनराशि रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	26	18.72	12.48	31.20
2	ललितपुर	26	18.72	12.48	31.20
	योग	**52**	**37.44**	**24.96**	**62.40**

(रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग - निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों तथा अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। लाभार्थी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निर्विवादित भूमि की पुष्टि का दायित्व निदेशक मत्स्य एवं सम्बंधित मण्डलीय/ जनपदीय अधिकारी का होगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये दिशा निर्देर्शो/ प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरी मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु अवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्श्यिल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) भारत सरकार के पत्रांक जे- 18001/1/2017-एफ0वाई0, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 81 -लेखाशीर्षक-2405- मछलीपालन-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0101-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/के0+रा0),35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-970 /ई/1-दस-2019, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 एम0 ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या: 23/2019 / 1253 (1)/ सत्रह-म-2019,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या: 23 /2019 /1253 / सत्रह-म-2019-6-9 (273) /2016

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 04 नवम्बर,2019

विषय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) हेतु ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों के लिए 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत धनराशि रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-317/नि0शा0,/वि0स्वी0-एस0टी0/2019-20 दिनांक 27 सितम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 52 मछुआ आवास निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में अवमुक्त केन्द्रांश रू0 37.44 लाख को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए पुनर्वैध कर दिये जाने के फलस्वरूप अनुसूचित जनजातियों के लिए 02 जनपदों में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 37.44 लाख व मैंचिंग राज्यांश रू0 24.96 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 62.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत संचालित मछुआ आवासों की निर्माण परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम बार भारत सरकार के पत्रांक-12012/27/2009-एफ0वाई0 (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए 52 मछुआ आवास निर्माण हेतु प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 का 60 प्रतिशत अर्थात 0.72 लाख की दर से कुल केन्द्रांश रू0 37.44 लाख अवमुक्त किया गया था। भारत सरकार के पत्रांक-जे-18001/1/2017 एफ0वाई0 दिनांक 25.04.2019 द्वारा वर्ष 2018-19 में अवमुक्त/अप्रयुक्त केन्द्रांश को वर्ष 2019-20 के लिए पुनर्वैध कर दिया गया है।

3- अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 (कार्यान्वयन वर्ष 2019-20) में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए 02 जनपदों में 52 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु पुनर्वैध केन्द्रांश रू0 37.44 लाख तथा मैचिंग

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

राज्यांश रू0 24.96 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 62.40 लाख (रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित तालिकानुसार निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 स0	जनपद	मछुआ आवासों की सं0	निर्गत की जाने वाली धनराशि (धनराशि रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	2	3	4	5	6
1	सोनभद्र	26	18.72	12.48	31.20
2	ललितपुर	26	18.72	12.48	31.20
	योग	**52**	**37.44**	**24.96**	**62.40**

(रू0 बासठ लाख चालीस हजार मात्र)

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग - निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों तथा अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों व समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। लाभार्थी चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता एवं निर्विवादित भूमि की पुष्टि का दायित्व निदेशक मत्स्य एवं सम्बंधित मण्डलीय/ जनपदीय अधिकारी का होगा।

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये दिशा निर्देर्शो/ प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। ।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही उसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरी मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु अवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

(7) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(8) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर- 12 में दी गयी शर्तों तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैंण्डर्स आफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

(9) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(10) भारत सरकार के पत्रांक जे- 18001/1/2017-एफ0वाई0, दिनांक 25.04.2019 के प्रस्तर-3 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0/पी0एफ0एम0एस0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण पी0एफ0एम0एस0 से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य संगत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या- 81 -लेखाशीर्षक-2405- मछलीपालन-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें 0101-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेन्ट आफ फिशरीज योजना (के060/रा040/के0+रा0),35 पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्यय अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019दिनांक 22 मार्च, 2019 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-970 /ई/1-दस-2019, दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0 एम0 ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

संख्या: 23/2019 / 1253 (1)/ सत्रह-म-2019,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय प्रयागराज ।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasnadesh up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।